ग्रामीण कार्य विभाग

Rural Works Department, Govt of Bihar

बिहार ग्रामीण पथ विकास एजेंसी

BRRDA

DETAILED PROJECT REPORT

RESTORATION 3054 (FDR 2021-22)

NAME OF WORK

Restoration of " PWD Hariharpatti Bhupendra Choudhary House To Laxmipur Via East Sardar Tola"

SUB- DIVISION---------------------------------------	Triveniganj
DIVISION---	Triveniganj
CIRCLE (W) --	Madhepura
DISTRICT--	Supaul

EE

RWD(W) Division

Triveniganj

अभियंता प्रमुख का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांकः– मु0अ0–4(मु0)विविध(कार्य)–23–66/2020 /890 दिनांक– 22/04/2022

प्रेषक–

अशोक कुमार मिश्रा,
अभियंता अभियंता।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
कार्य अंचल– मधेपुरा,
ग्रामीण कार्य विभाग।

विषयः– वर्ष 2021–22 की बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मोटरेबुल कार्यों के प्राक्कलन की जाँच के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि अपने अंचल अंतर्गत सुपौल, वीरपुर एवं त्रिवेणीगंज कार्य प्रमंडलों के वर्ष 2021–22 में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सभी पथों के मोटरेबुल कार्य के कृत कार्य मदों की मात्रा का स्थलीय जाँच किया जाना है। इस कार्य के लिए आपकी अध्यक्षता में जाँच टीम गठित की जाती है, जिसमें सभी कार्यों के लिए कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल– सुपौल, वीरपुर एवं त्रिवेणीगंज सदस्य होंगे।

जाँच प्रतिवेदन एवं सभी आवश्यक अभिलेख यथा स्वीकृत प्राक्कलन, मापीपुस्त, Geotag फोटोग्राफ इत्यादि पाँच दिनों के अंदर FDR MIS पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

ह0/- 21/4/22

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांकः– मु0अ0–4(मु0)विविध(कार्य)–23–66/2020 /890 दिनांक– 22/04/2022

प्रतिलिपिः– कार्यपालक अभियंता कार्य प्रमंडल–सुपौल, वीरपुर एवं त्रिवेणीगंज को सूचनार्थ एवं अक्षरशः अनुपालनार्थ प्रेषित।

ह0/- 21/4/22

अभियंता प्रमुख

अशोक
09/12/2021

अभियंता प्रमुख का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांकः— मु0अ0—4(मु0)विविध(कार्य)23—291 / 2019-4849 दिनांक— 07/12/2021

प्रेषक— अशोक कुमार मिश्रा,
अभियंता प्रमुख

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, ग्रामीण कार्य विभाग
सभी अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, ग्रामीण कार्य विभाग

विषयः— वर्ष 2021—22 में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथों के पुनर्स्थापन कार्य के संबंध में।

महाशय,

वर्ष 2020—21 में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथों का पुनर्स्थापन कार्य युद्ध स्तर पर किया जाना है। इस संबंध में पूर्व निर्गत निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। पुनर्स्थापन के संबंध में कार्य प्रक्रिया पुनः अंकित किए जा रहे है।

(A) अस्थायी पुनर्स्थापन (Motorable) कार्यः—

वर्ष 2021—22 में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथों के अस्थायी पुनर्स्थापन कार्य की स्वीकृति एवं उनके भुगतान की प्रक्रिया विभागीय पत्रों एवं VC के माध्यम से अनेक बार स्पष्ट की जा चुकी है फिर भी कार्य प्रमंडल से प्राप्त प्राक्कलनों में कतिपय त्रुटियाँ दृष्टिगोचर हो रही है जिसके कारण उनकी स्वीकृति में विलंब हो रहा है। इस मामले में स्थिति पुनः स्पष्ट की जा रही हैः—

(1) बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सभी पथों की प्रारंभिक प्रविष्टि MIS के FDR module में की जानी है। बाढ़ अवधि समाप्त हो चुकी है और यह अपेक्षा की जाती है कि अब बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त कोई भी पथ प्रारंभिक प्रविष्टि हेतु शेष नहीं है।

(2) बाढ़ का प्रभाव खत्म होने पर उन पथों के क्षति का वास्तविक आकलन कर प्रारंभिक प्रविष्टि किए गए पथों का FDR module से पथों की क्षति की वास्तविक लम्बाई एवं संभावित व्यय की प्रविष्टि की जानी है।

(3) तत्पश्चात मरम्मति कार्य पूर्ण कर वास्तविक व्यय के आधार पर प्राक्कलन तैयार किया जाना है जिसकी जाँच कार्य अँचल द्वारा निर्धारित असंबद्ध कार्य प्रमंडलों द्वारा की जानी है।

(4) जाँचित प्राक्कलनों को जाँच प्रतिवेदन, अधीक्षण अभियंता की तकनीकी स्वीकृति (TS) एवं MB की छायाप्रति के साथ प्रशासनिक अनुमोदन हेतु विभाग को समर्पित किया जाना है।

Scanned with CamScanner

(C) पुल–पुलियों का पुनर्स्थापनः–

(1) बाढ़ से क्षतिग्रस्त पथों में अवस्थित पुल–पुलिया के एप्रोच के पुनर्स्थापन का कार्य भी पथों के पुनर्स्थापन कार्य के अनुरूप किया जाए।

(2) बाढ़ के कारण जिन पुल/पुलियों में structural damage हुआ है, उनके पुनर्स्थापन का कार्य हेतु मूल योजना से पुनरीक्षित प्राक्कलन का गठन किया जाए यदि वे एकरारित अवधि के अन्दर हों। एकरारित अवधि से बाहर हो चुके पुल/पुलियों की लम्बाई यदि 15 मीटर तक है तो उसके पुनर्स्थापन हेतु प्राक्कलन का गठन गैर योजना शीर्ष 3054 से किया जाए। 15 मीटर से अधिक लम्बाई वाले पुल/पुलियों के प्राक्कलन का गठन कर स्वीकृति हेतु विभाग को भेजी जाय ताकि निधि की उपलब्धता के अनुरूप समुचित शीर्ष से उसकी स्वीकृति दी जा सके।

इसे अतिआवश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

7/12/21

(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक 1009 / सहरसा, दिनांक 07.12.2021 /

प्रतिलिपि : कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सहरसा/सिमरी बख्तियारपुर/खगड़िया/गोगरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। साथ ही निदेश दिया जाता है कि विभागीय उपरोक्त बिन्दुओं पर दिये गये निदेश का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय।

7/12/21

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल,
सहरसा।

Scanned with CamScanner

मुख्य अभियंता-4 का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

पत्रांक–मु0अ0–4(मु0)विविध(कार्य)–23–291/2019-4275 पटना, दिनांक– 22/10/2021

प्रेषक,

अशोक कुमार मिश्रा,
अभियंता प्रमुख,

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल,
सभी अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल,
सभी मुख्य अभियंता

विषय– FDR अंतर्गत मोटरेबुल किए गए पथों के Time Line के संबंध में।

महाशय,

वर्ष 2021–22 में राज्य के ग्रामीण पथों में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथों का मोटरेबुल कार्य प्रगति में है। उक्त कार्यों के सुचारू रूप से निष्पादन हेतु विभाग द्वारा Time Line निर्धारित किया गया है, जो निम्नवत है:–

(1) वर्ष 2021–22 में राज्य में ग्रामीण पथों में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त भाग में आकस्मिक रूप से मोटरेबुल/अस्थायी पुनर्स्थापन कार्य की वास्तविक लम्बाई एवं आकलित राशि MIS के FDR मोड्यूल में प्रविष्टि की अंतिम तिथि – 5 Nov.2021

(2) मोटरेबुल कार्यों के प्राक्कलन का निर्माण की अंतिम तिथि – 5 Nov.2021

(3) MIS पर प्रारंभिक एवं अंतरिम प्रविष्टि को 6 Nov.2021 को Lock कर दिया जाएगा जिसके बाद कोई भी प्रविष्टि की अनुमति नहीं दी जाएगी। ATR Module तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन जाँच प्रतिवेदन Geotag Photograph इत्यादि की प्रविष्टि मान्य रहेगी।

(4) उक्त प्राक्कलनों की विस्तृत जाँच विभाग द्वारा निर्धारित असंबद्ध कार्यपालक अभियंता से करायी जाएगी।

(5) जाँचित प्राक्कलनों का तकनीकी अनुमोदन सक्षम प्राधिकार से प्राप्त कर प्रशासनिक अनुमोदन की अग्रत्तर कार्रवाई हेतु 30 Nov.2021 तक विभाग को समर्पित किया जाना है।

अतः अनुरोध है कि उक्त Time Line का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चत किया जाय।

विश्वासभाजन

22/10/21

(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख

Scanned by CamScanner

ग्रामीण कार्य विभाग
बिहार, सरकार

पत्रांक – मु0अ0–4 (मु0) विविध कार्य–23–60 / 2020 - 1937 पटना, दिनांक 07/07/2021

प्रेषक,

पंकज कुमार पाल (भा0प्र0से0)
सचिव

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,

विषय– बाढ़ अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथों / पुलियों को यातयात लायक (Motorable) करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में, निदेश दिया जाता है कि प्रमंडल अन्तर्गत सभी अभियंता बाढ़ / अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथों का शत प्रतिशत निरीक्षण करेंगे। पथों / पुलियों के क्षतिग्रस्त भाग से पानी उतरते ही उसे यातायात लायक बनाने की कारवाई एवं Motorable किये जाने से पहले तथा Motorable कार्य के बाद का Real time, Geo tagged photographs को MIS पर तत्क्षण अपलोड किया जाना सुनिश्चित करेंगे। इन कार्यो को कराने हेतु कार्यपालक अभियंता पूर्ण रूप से जिम्मेवार होंगे। कार्य न कराने की स्थिति में उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की बाध्यता होगी।

विश्वासभाजन
(पंकज कुमार पाल)
सचिव

ज्ञापांक– मु0अ0–4 (मु0) विविध कार्य–23–60 / 2020 - 1937 पटना, दिनांक 07/7/2021
प्रतिलिपि:–सभी अधीक्षण अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। साथ ही उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे लगातार अनुश्रवण एवं निरीक्षण करते हुए क्षतिग्रस्त भाग को अतिशीघ्र यातायात लायक बनवाने की कारवाई सुनिश्चित करेंगे।

सचिव

ज्ञापांक–मु0अ0–4 (मु0) विविध कार्य–23–60 / 2020 - 1937 पटना, दिनांक 07/7/2021
प्रतिलिपि:–सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं लगातार अनुश्रवण करने हेतु प्रेषित।

सचिव

ABSTRACT OF COST

Division:- Triveniganj   Block:- Triveniganj

Work Circle :- Madhepura

Work:- **Restoration of " PWD Hariharpatti Bhupendra Choudhary House To Laxmipur Via East Sardar Tola"**

Restoration Length :- 0.237 Km

Scheme Head :- Restoration (3054)

Session :- FDR (2021-22)

Sl No	DESCRIPTIONS	AMOUNT (Rs)
1	RESTORATION AMOUNT OF WORK	2,422,576.00
2	GST @ 12%	290,709.00
3	L. Cess @ 1%	24,226.00
4	S. Fee (used material) @ 10%	98,040.00
	Total cost (Rs.)	2,835,551.00
	Restoration Cost (Lacks)	**28.36**

JE (10/05/2022)   AE (11.5.22)   EE (21.5.22)

Executive Engineer
Rural Works Department
Work Division, Triveniganj

vide letter ग्रा०का०(मु०) विविध (का०यो०) 23-291/2019-4849 dt 07.12.2021 Theechnically sanctioned for Rs- 2835551:00 (Twenty eight lakhs thirty five thousand five hundread fifty one only.)

27/06/22

SUPERINTENDING ENGINEER
RWD (W) CIRCLE
MADHEPURA